vote, five members from among the members of the House to serve on the said Joint Committee."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL) : Sir, on behalf of Shrimati Maneka Gandhi, I beg to move the following Motion :-

"That in pursuance of clause (h) of sub-section (3) of Section 3 read with sub-section (I) of Section 4 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (No. 34 of 1992), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct one member from among the members of the House to be a member of the Rehabilitation Council of India." *The question was put and the motion was adopted.*

THE CONSTITUTION (EIGHTY-SIXTH AMENDMENT), BILL, 1999

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, on behalf of Shri Sunder Lai Patwa, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (EIGHTY-SEVENTH AMENDMENT) BILL, 1999

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE

AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, on behalf of Shri Sunder Lai Patwa, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, I introduce the Bill.

* SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Shrimati Jayanthi Natarajan. Not present.

Shri Ahmed Patel.

Police action against agitating farmers in Gujarat and other parts of the country

श्री अहमद पटेल (गुजरात) : सभापति महोदय, गुजरात और देश के कई इलाकों में पीने के पानी को गंभीर समस्या है। खास तौर से गुजरात में, सौराष्ट्र में कच्छ और नार्थ गुजरात में पीने के पानी की समस्या बहुत विकट है। जब भी पीने के पानी के लिए या अपनी खेती के लिए किसान आंदोलन करते हैं, उनको गोलियों से भून दिया जाता है, अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। नतीजा यह होता है कि निर्दोष किसान या आम जनता मारी जाती है। मैं अपने विशेष उल्लेख के जरिये सदन और सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले 14 तारीख को जामनगर डिस्ट्रिक्ट के फल्ला गांव में जो हादसा हुआ, वाकया हुआ, मैं समझता हूं यह दिल को हिलाने वाला हादसा था, वाकया था। किसान भाई बहन पिछले एक महीने से आंदोलन चला रहें थे पीने के पानी के लिए खेती के लिए और अपने मेवेशियों को बचाने के लिए। कंकावटी डैम का पानी जामनगर शहर को देने के लिए रिजर्व किया गया था। इस गांव के लोगों को संदेह था कि यह पानी शहर में दिया गया तो उनको पीने का पानी नहीं मिल पाएगा, उनकी खेती नहीं बच पाएगी, उनके मवेशी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए पिछले एक डेढ महीने से शन्तिपूण्र तरीके से वे आंदोलन चला रहे थे। किसी ने उनको नहीं पूछा, किसी ने उनकी खबर नहीं ली और किसी ने उनकी चिंता नहीं की। यह भी नहीं कहा गया, यह भी आवश्वासन नहीं दिया गय कि कंकावटी डैम का पानी आपको भी मिलेगा, आपकी खेती को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नतीजा यह हुआ कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको पीने का पानी उपलब्ध करया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि 14 तारीख को जब वे आंदोलन कर रहें थे, पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसकी वजह से तीन लोग मारे गये जिसमें एक 22 साल का नवयुवक भी था। जो 23 लोग घायल हुए उनमें तीन महिलाएं भी थी। मैं समझता हूं यह बहुत ही गंभीर